ऑन लाईन नं. RCMS 2024/163

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टबर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : रीना, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 46/2024

1. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र खड़ग सिंह जाति जटसिख निवासी 46 जीजी तहसील पदमपुर जिला श्रींगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखविन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति रामदासिया निवासी 8 एनएन (ए) तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 08.03.2019 जो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पदमपुर द्वारा मुकदमा अनवान सरकार बनाम गुरजिन्द्र सिंह प्रकरण संख्या/2018/धारा 22 अन्तर्गत धारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम में पा0.रित कर अपीलांट को चक 46 जीजी तहसील पदमपुर के मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 1/0.126 हैक्टर, 2/0.126 हैक्टर, 3/0.127 हैक्टर, 4/0.126 हैक्टर, 8/0.127 हैक्टर, 8/0.127 हैक्टर, 9/0.126 हैक्टर , 10/0.127 हैक्टर कुल 1.012 हैक्टर रकबा राज भूमि से बेदखल करने एवं अपीलांट पर भू–राजस्व की 50 गुणा शास्ति आरोपित करने आदि का आदेश दिया , को निरस्त करने हेतु।

उपस्थित :

1.श्री बलकरण सिंह बराड़ , अधिवक्ता, अपीलार्थी

2.श्री तेजा सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: आदेश ::

दिनांक :–16.12.2024

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, पदमपुर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि चक 46 जीजी तहसील पदमपुर के मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 1/0.126 हैक्टर, 2/0.126 हैक्टर, 3/0.127 हैक्टर, 4/0.126 हैक्टर, 8/0.127 हैक्टर, 8/0.127 हैक्टर, 9/0.126 हैक्टर , 10/0.127 हैक्टर कुल 1.012 हैक्टर नहरी राज भूमि पर फसल खरीफ 2075 जिन्स ग्वार बारानी की काश्त गुरजिन्द्र सिंह पुत्र खड़ग सिह जाति जटसिख निवासी 46 जीजी ने बिना किसी विधिपूर्ण अधिकार के रकबा राज भूमि का अधिभोग किया है, इस पर प्रकरण दर्ज कर तदुपरांत अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पदमपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.03.2019 के द्वारा उक्त भूमि से अपीलांट को बेदखल करने, अपीलांट से लगान का 50 गुणा शास्ति 100/–रूपये वसूल व भूमि में काश्त फसल को जब्त कर नीलाम करने का आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार के उक्त निर्णय दिनांक 08.03.2019 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से अपील निम्नप्रकार प्रस्तुत है:–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार , पदमपुर को आक्षेपित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.03.2019 कतई गलत , विधिविरूद्व, प्राकृतिक न्याय के विपरीत ,

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

कानून के आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.03.2019 सलंग्न है।

2. यह कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2019 का नॉन स्पीकिंग निर्णय है जो न्यायिक विवके का इस्तेमाल किए साईकलोस्टाईल तरीके से पारित किया है।
3. यह कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को बिना समुचित रूप से नोटिस दिया व समुचित सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के कानून के आज्ञात्मक सिद्वान्तों के विपरीत है।
4. यह कि कृषि भूमि चक 46 जीजी के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 ता 5, 8 ता 10 कुल 8 बीघा कृषि भूमि बहुत लम्बे अर्सा/बहुत सालों से अपीलांट के कब्जा काश्त में है जिसका नियमन कर नियमन राशि जमा करवा कर अपीलांट के पक्ष में नियमन/ आवंटन करने हेतु अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, पदमपुर के समक्ष पेश कर रखा है जो नियमन प्रकरण लम्बित है। अपीलांट को भूमि से अतिक्रमी मानकर बेदखल करने के बजाय अपीलांट को प्रकरण नियमन योग्य है उक्त नियमन प्रकरण के निस्तारण से पूर्व अपीलांट की बेदखली तावान व फसल नीलामी के कार्यवाही कतई अनुचित है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश काबिल खारिज है। नियमन प्रार्थना पत्र एवं नियमन पत्रावली की प्रमाणित प्रति सलंग्न है।
5. यह कि दिनांक 22.08.2024 को पटवारी हल्का ने कहा कि अपीलाधीन आदेश 08.03.2019 के द्वारा आपको नायब तहसीलदार, पदमपुर द्वारा बेदखल करने का आदेश दिया है जिसके अनुसरण में शीघ्र ही आपको अपीलाधीन कृषि भूमि से बेदखल किया जावेगा जिस पर अपीलांट हैरान हो गया और अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 22.08.2024 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.03.2019 की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की कतई जानकारी नहीं थी। इसके बाद अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त की गई। तदुपरांत अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की जिन्होने अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने की राय दी। तदुपरांत अपील खर्चे आदि की व्यवस्था कर अपील तैयार कर आज रोज बिना किसी देरी के अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी माफ की जाकर अपील ग्रहण योग्य है। इस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी अलग से पेश है।
6. यह कि अपीलांट सद्भावी काश्तकार पेशा ग्रामीण व्यक्ति है। अपीलांट व उसके व उसके परिवार आजीविका का निर्वाह कृषि कार्य से होता है। रेस्पोडेन्ट अपीलाधीन आदेश के आधार पर अपीलाधीन आदेश में दर्ज कृषि भूमि से अपीलांट को बेदखल करने एवं तावान वसूल आदि की कार्यवाही करने पर रेस्पोडेन्ट आमाद है। अपीलाधीन आदेश के मौजूदा सूरत में कायम रहने पर अपीलांट के हक व अधिकार प्रत्यक्षतः प्रभावित हो रहे है तथा अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्ती के है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पदमपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.03.2019 को निरस्त किया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि नायब तहसीलदार पदमपुर द्वारा प्रकरण संख्या/2018/धारा–22 अनवानी राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का 8 एनएनए बनाम गुरजिन्द्र सिंह निर्णय दिनांक 08.03.2019 से अप्रार्थी/अपीलांट गुरजिन्द्र सिंह द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण अधिकार के चक 46 जीजी के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1/0.126 हैक्टर, 2/0.126 हैक्टर, 3/0.127 हैक्टर, 4/0.126 हैक्टर, 8/0.127 हैक्टर, 8/0.127 हैक्टर, 9/0.126 हैक्टर , 10/0.127 हैक्टर कुल 1.012 हैक्टर नहरी रकबाराज भूमि पर फसल खरीफ सम्वत् 2075 में काश्त करके बिना किसी विधिपूर्ण अधिकार के अधिभोग करने पर भू0 राजस्व की 50 गुणा रूपये 100/–रूपये शास्ति आरोपित को आदेश पारित किया गया था, जो वित्तिय वर्ष 2019 के लिए था। वित्तिय वर्ष 2019 समाप्त हो चुका है। इसलिए अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अपील निष्प्रभावी होने से खारिज फरमाई जावें। अपीलांट स्वर्ण जाति के व्यक्ति है, जबकि उक्त विवादि भूमि हरिजन के व्यक्ति दौलतसिंह पुत्र मंशा सिंह जाति मेघवंशी निवासी 47 जीजीए (मृतक) वारिसान नामालूम को आवंटित हुई थी। उक्त विवादित भूमि पर मेरा कब्जा है। उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के मुकदमा नम्बर 01/2014 व वाजवा नम्बर 01/2018 अनवानी सरकार बनाम दौलतसिह वगैरा निर्णय दिनांक 27.08.2019 से वाद तहसीलदार पदमपुर निरस्त किया जाकर दौलतसिंह को आवंटित रकबा चक 46 जीजी का मुरब्बा नम्बर 50 का किला नम्बर 1 ता 5/1.265 हैक्टर व 8 ता 10/0759 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर नहरी भूमि की दिनांक 09.01.2008 से पूर्व की स्थिति बहाल का आदेश पारित किया गया है। हरिजन की भूमि पर स्वर्ण जाति का व्यक्ति नियमन की कार्यवाही नहीं कर सकता। हरिजन की भूमि पर हरिजन का व्यक्ति ही नियमन की कार्यवाही कर सकता है। उक्त विवादित रकबा को उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.08.2019 द्वारा पुनः बहाल कर दिया गया है, तो नियमन की कार्यवाही किस आधार पर की जा सकती है। दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कहा की POWER OF ATORNY किसी मुकदमा में पैरवी के लिए रजि0 होनी जरूरी नहीं है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त अपील में जो पैरवी कर रहा है उनके पास POWER OF ATORNY रजि0 नहीं , बिना रजि0 POWER OF ATORNY के रेस्पोडेन्ट सुखजिन्द्र सिंह उक्त मुकदमा में पैरवी नहीं कर सकता। अपीलांट द्वारा उक्त विवादित भूमि जो रकबा राज है के सम्बन्ध में नियमन की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लगाई हुई जो वर्तमान में विचाराधीन है।, रेस्पोडेन्ट का उक्त विवादित भूमि पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त विवादित रकबा राज हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार , पदमपुर का आदेश दिनांक 08.03.2019 कतई गलत , विधिविरूद्व, प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपीलांट को भूमि से अतिक्रमी मानकर बेदखल नहीं किया जा सकता था क्योंकि अपीलांट का प्रकरण नियमन योग्य है उक्त नियमन प्रकरण के निस्तारण से पूर्व अपीलांट की बेदखली तावान व फसल नीलामी के कार्यवाही कतई अनुचित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पदमपुर का प्रकरण संख्या/2018/धारा–22 अनवानी राजस्थान सरकार

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

जरिये पटवारी हल्का 8 एनएनए बनाम गुरजिन्द्र सिंह निर्णय दिनांक 08.03.2019 से अपीलांट गुरजिन्द्र सिंह द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण अधिकार के चक 46 जीजी के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1/0.126 हैक्टर, 2/0.126 हैक्टर, 3/0.127 हैक्टर, 4/0.126 हैक्टर, 8/0.127 हैक्टर, 8/0.127 हैक्टर, 9/0.126 हैक्टर , 10/0.127 हैक्टर कुल 1.012 हैक्टर नहरी रकबाराज भूमि पर फसल खरीफ सम्वत् 2075 में काश्त करके बिना किसी विधिपूर्ण अधिकार के अधिभोग करने पर भू0 राजस्व की 50 गुणा रूपये 100/–रूपये शास्ति आरोपित का जो आदेश पारित किया वह वित्तिय वर्ष 2019 के लिए था। वित्तिय वर्ष 2019 समाप्त हो चुका है। इसलिए अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अपील निष्प्रभावी होने से खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के मुकदमा नम्बर 01/2014 व वाजवा नम्बर 01/2018 अनवानी सरकार बनाम दौलतसिह वगैरा निर्णय दिनांक 27.08.2019 के पैरा संख्या 9 में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर द्वारा की गई अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की कार्यवाही को चलने योग्य नहीं माना है। उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.08.2019 द्वारा उक्त विवादित रकबा को पुनः बहाल कर दिया गया है, तो नियमन की कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि रकबा पुनः आवंटी दौलतराम (मृतक) का बहाल किया चुका है। अतः अपीलार्थी का यह बिन्दु की मेरा नियमन का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के यहां विचाराधीन है स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी द्वारा विचाराधीन अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पदमपुर के प्रकरण संख्या/2018/धारा–22 अनवानी राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का 8 एनएनए बनाम गुरजिन्द्र सिंह निर्णय दिनांक 08.03.2019 के विरूद्व पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पदमपुर ने अपने निर्णय दिनांक 08.03.2019 से अपीलांट गुरजिन्द्र सिंह द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण अधिकार के चक 46 जीजी के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1/0.126 हैक्टर, 2/0.126 हैक्टर, 3/0.127 हैक्टर, 4/0.126 हैक्टर, 8/0.127 हैक्टर, 8/0.127 हैक्टर, 9/0.126 हैक्टर , 10/0.127 हैक्टर कुल 1.012 हैक्टर नहरी रकबाराज भूमि पर फसल खरीफ सम्वत् 2075 में काश्त करके बिना किसी विधिपूर्ण अधिकार के अधिभोग करने पर भू0 राजस्व की 50 गुणा रूपये 100/–रूपये शास्ति आरोपित का जो आदेश पारित किया वह वित्तिय वर्ष 2019 के लिए था। वित्तिय वर्ष 2019 समाप्त हो चुका है। फलस्वरूप अपील अपीलांट निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट निष्प्रभावी होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ नायब तहसीलदार पदमपुर को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
अति0 जिला कलक्टर,
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर